बाल विवाह कानून

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

बाल विवाह कानून

प्रकाशक :

'न्याय सदन'
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है।

इस कानून के अनुसार किसी भी 21 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह निषिद्ध है। किन्तु यदि ऐसा विवाह संपन्न भी हुआ हो तो वह शून्यकरणीय होगा तथा अवयस्क बालक या बालिका अपने अभिवाहक या वाद मित्र की मदद से विवाह को रद्द करने या शून्य घोषित करने हेतु परिवार न्यायालय या सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकेगा / सकेगी।

अवयस्क का विवाह शून्यकरणीय है।

वयस्कता प्राप्ति के दो वर्षों के भीतर भी ऐसा वयस्क पति या पत्नी अपने विवाह को शून्य घोषित करने हेतु मुकदमा दायर कर सकता है।

न्यायालय विवाह को शून्य घोषित करते समय दोनो पक्षकार को विवाह समय दिये गये धन, आभूषण उपहार तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएँ एक दूसरे को वापस करने का आदेश देगा।

न्यायालय उपरोक्त डिक्री पारित करते समय वयस्क पति को या अवयस्क पति की दशा में उसके माता–पिता को बालिका को उसे पुनर्विवाह होने तक समुचित भरण पोषण तथा निवास हेतु आदेश दे सकेगा।

संतान की वैधता एवं अभिरक्षा

दो अवयस्क बालक एवं बालिका के विवाह के शून्य घोषित होने के बावजूद भी उनसे उत्पन्न शिशु उनकी वैध संतान मानी जायेगी।

सक्षम न्यायालय ऐसे बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए उसके अभिरक्षा हेतु उचित आदेश पारित कर सकेगी।

उपरोक्त मुकदमों यहाँ दायर हो सकेगें।

- ❖ जिला जहाँ विपक्षी रहता हो, या
- ❖ जहाँ विवाह संपन्न हुआ हो, या
- ❖ दोनों पक्ष जहाँ अंतिम बार निवास किये हो या।
- ❖ जहाँ मुकदमा दायर करते वक्त वादी रह रहा हो।

दण्ड

बाल विवाह कराने, उसे उकसाने या अन्यथा मदद करने या उसमें शामिल होने, उसे रोकने में

विफल रहने या इसे प्रोत्साहित करने हेतु कोई भी अभिभावक या संगठन का कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष तक के सश्रम कारावास या एक लाख रूपये तक के जुर्माने से या दोनो से दंडित किया जाएगा। उपरोक्त अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानतीय है।

जबरन विवाह शून्य

यदि किसी अवयस्क का उसके विधिक अभिरक्षा से उठाकर या फुसलाकर या धोखे में लाकर दबाव देकर तश्करी या बेचकर विवाह कराया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य माना जायेगा।

स्थगन आदेश परिणाम एवं दण्ड

बाल विवाह निषेध अधिकारी के द्वारा या किसी एन0 जी0 ओ0 या व्यक्ति द्वारा परिवाद दाखिल करने

पर या किसी अन्य विश्वसनीय सूचना पर प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट बाल विवाह को रोकने हेतु किसी भी व्यक्ति या संगठन के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित कर सकेगा। जिसकी अवहेलना करने पर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का सश्रम कारावास या एक लाख रूपये या दोनों का दण्ड दिया जा सकेगा। स्थगन आदेश के बावजूद किया गया बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जायेगा।

अक्षय तृतीया जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर सामूहिक बाल विवाह रोकने हेतु जिला दण्डाधिकारी (डी0 एम0) के पास बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की सारी शक्तियाँ होगी। तथा इनका प्रयोग वह न्यूनतम बलप्रयोग के साथ बाल विवाह रोकने हेतु करेगा।

बाल विवाह निषेध पदाधिकारी (सी0 एम0 पी0 ओ0) बाल विवाह रोकने के लिए सक्षम पदाधिकारी होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपेलिटी, सरकार या एन0जी0ओ0 के अधिकारियों को जिम्मेदार होगी कि वे बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को बाल विवाह रोकने में मदद करे । इस हेतु सरकार सी0 एम0 पी0 ओ0 को पुलिस अफसर की शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी ।

बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी के कर्तव्य।

- उचित कदम उठाकर बाल विवाह रोकना
- प्रभावशाली अभियोजन हेतु साक्ष्य एकत्र करना।
- व्यक्ति विशेष या स्थानीय लोगो को बाल विवाह के विरूद्ध परामर्श देना एवं जागरूक बनाना।
- निर्देशानुसार सरकार को संबंधित आंकड़ें भेजना।

❑❑❑

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com
वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in